# झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर)

सिरखा टोली, नामकुम, रांची -834010(झारखण्ड) http//:www.jutranchi.ac.in

---

पत्रांक- JUT-118/2025/Affiliation/ 1346 / राँची, दिनांक:- 04/11/2025

सेवा में,

**The Director/Principal,**
**Gumla Polytechnic, Gumla.**

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु संस्थान में संचालित स्नातक (BCA) पाठ्यक्रम के औपबंधिक संबद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम (BCA) के संचालन हेतु AICTE, New Delhi से प्राप्त EoA/LOA तथा विश्वविद्यालय के संबद्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में आपके संस्थान को AICTE, New Delhi द्वारा निर्गत EoA/LOA में अंकित पाठ्यक्रम (BCA-60 सीट सहित) निम्न शर्तों के अधीन औपबंधिक नव सबद्धन/संबंद्धन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है-

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. AICTE/UGC/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति में निर्धारित अहर्ता, चयन एवं प्रक्रिया सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित नामांकन शुल्क आदि digitally प्राप्त किये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय द्वारा तैयार नये Syllabus को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयोगशाला / कर्मशाला में सभी आवश्यक मशीन उपकरण, सोफ्टवेयर एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।
5. पाठ्यक्रम संचालन हेतु AICTE द्वारा निर्धारित मानक (Norms) अनुसार आवश्यक Infrastructure तथा Facilities में जो भी त्रुटि/कमियों है, उसे हर हाल में तीन से छः माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाय।
6. AICTE के APH-2024-25 में अंकित संस्थान स्तर पर गठित होने वाले सभी प्रकार के समिति/बोर्ड / स्क्वायड आदि के गठन संबंधित पत्रों को संस्थान के Website पर डाला जाय एवं इसे समय-समय पर Update किया जाय।
7. विगत वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट संस्थान के Website पर रखा जाय। पुस्तकालय / प्रयोगशाला / कर्मशाला के मशीन उपकरण के क्रय, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी आदि के भुगतान, सस्थान के भवन एवं परिसर के विकास एवं रख-रखाव आदि पर किये गये गत वर्ष के व्यय का सरांश तथा उससे संबंधित सभी प्रकार का अभिलेख संस्थान स्तर पर संधारित किया जायेगा ताकि उसे मॉगे जाने पर तत्क्षण संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।
8. विश्वविद्यालय की टीम आवश्यकतानुसार किसी भी समय संस्थान का औचक निरीक्षण कर सकती है। प्रतिकूल निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति में विश्वविद्यालय अपने प्रदत् औपबंधिक नव संबद्धन/संबंद्धन दीर्घीकरण पर पुर्नविचार कर समुचित निर्णय ले सकता है।

कृ०पृ०उ०

अनुरोध है कि संबद्धता शुल्क की राशि निम्नवत् तालिका में दर्शाये गये प्रति Programme अथवा पाठ्यक्रम के अनुरूप डिमान्ड ड्राफ्ट Payable at Ranchi के नाम से पत्र निर्गत के 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाय।

| S. No. | Name of Course | Amount | Remarks |
|---|---|---|---|
| 01. | BCA | 1,00,000 | |
| | **Total Amount** | **1,00,000** | |

विश्वासभाजन

**ह/०**
(निशांत कुमार)
कुलसचिव(प्र०),
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची।

ज्ञापांकः- JUT-118/2025/Affiliation/ 1348 / राँची, दिनांकः- 03/11/2025

प्रतिलिपि

1. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. परीक्षा नियंत्रक, जे०सी०ई०सी०बी०, नामकुम, राँची को को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. निदेशक, पाठ्यक्रम विकास, जे०यू०टी०, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलपति /कुलसचिव कार्यालय, परीक्षा शाखा, लेखा शाखा को रोधी को सूचनार्थ प्रेषित।

Nishant Kumar 4/11/25
(निशान्त कुमार)